


19 07 24

पत्रावली पेश हुई।
वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 04 से 08 उपस्थित।
विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है, जिस पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारान के हिरसानुसार प्राप्त हुए है तथा वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भांडुन्द तहसील वाली की खसरा संख्या 2473 रकबा 1.71 हेक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक-पृथक खातेवारी में घोषित की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	कौशल भीणा पत्नि राजेश भीणा हिरसा 1/2 जाति मेणा सा. फालना रटे. खातेदार नाबालिग साक्षी भीणा पुत्री राजेश भीणा संरक्षक कौशल भीणा हिरसा 1/2 जाति मेणा सा. फालना रटे.	2473	0.5700	बारानी अब्बल	3.99	RED
योग		1	0.5700	बारानी अब्बल	3.99	
2	कनाराम पुत्र भूवा हि.1/12 नेनारा पुत्र भूवा हि. 1/12 प्रेमाराम पुत्र भूवा हि. 1/12 बाबुलाल पुत्र भूवा हि.1/12 जमूबाई पत्नि भूवा हि. 1/12 मोहन पुत्र भूवा हि.1/12 कंकु पत्नि भलाराम हि. 1/48 रमेश पुत्र भलाराम हि. 1/48 वागाराम पुत्र भलाराम हि. 1/48 ताराराम पुत्र भलाराम हि. 1/48 केसी पत्नि मोती हि. 1/12 भूराराम पुत्र मोती हि. 1/12 रूपाराम पुत्र मोती हि. 1/12 वनाराम पुत्र मोती हि. 1/12 सांकलाराम पुत्र मोती हि. 1/12 कौम मैणा सा. देह खातेदार	2473	1.14	बारानी अब्बल	7.98	GREEN
योग		1	1.14	बारानी अब्बल	7.98	



तहसीलदार वाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त लिखित निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 19-07-24 को सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।

3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, वाली पदेन
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, वाली

वादीगण :-

1. कोशल मीणा पत्नि स्व. राजेश मीणा
2. साक्षी मीणा पुत्री स्व. राजेश मीणा जातिगण मीणा निवासीगण फालना स्टेशन तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. कंकु पत्नि भलाराम जी
2. रमेश पुत्र भलाराम जी
3. वागाराम पुत्र भलाराम जी
4. ताराराम पुत्र भलाराम जी
5. रूपाराम पुत्र मोतीजी
6. भूराराम पुत्र मोतीजी
7. वनाराम पुत्र मोतीजी
8. साकलाराम पुत्र मोतीजी
9. कनाराम पुत्र भुबाजी
10. नेनाराम पुत्र भुबाजी
11. बाबूलाल पुत्र भुबाजी
12. मोहनलाल पुत्र भुबाजी
13. प्रेमराम पुत्र भुबाजी तमाम जाति मीणा निवासीगण भाटून्द तहसील बाली।
14. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार



राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2021/388

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या 04 से 08 मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विभाजन प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम भाटुन्द पटवार हल्का भाटुन्द तहसील बाली के खसरा नंबर 2473 रकबा 1.71 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	कोशल मीणा पत्नि राजेश मीणा हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा. फालना स्टे. खातेदार नाबालिग साक्षी मीणा पुत्री राजेश मीणा संरक्षक कोशल मीणा हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा. फालना स्टे. खातेदार	2473	0.5700	बारानी अब्बल	3.99	RED
	योग	1	0.5700	बारानी अब्बल	3.99	

//02//


राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gems No 2021/388
अनवान कोशल गीणा वगैरा बनाम कंकु वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955

राजस्व
वादा प्रकरण
जारी

2	कनाराम पुत्र भूबा हि.1/12 नेनारा पुत्र भूबा हि. 1/12 प्रेमाराम पुत्र भूबा हि. 1/12 बाबुलाल पुत्र भूबा हि.1/12 जमूबाई पत्नि भूबा हि. 1/12 मोहन पुत्र भूबा हि.1/12 कंकु पत्नि भलाराम हि. 1/48 रमेश पुत्र भलाराम हि. 1/48 वागाराम पुत्र भलाराम हि. 1/48 ताराराम पुत्र भलाराम हि. 1/48 केसी पत्नि मोती हि. 1/12 भूराराम पुत्र मोती हि. 1/12 रूपाराम पुत्र मोती हि. 1/12 वनाराम पुत्र मोती हि. 1/12 सांकलाराम पुत्र मोती हि. 1/12 कौम मैणा सा. देह खातेदार	2473	1.14	बारानी अव्वल	7.98	GREEN
योग		1	1.14	बारानी अव्वल	7.98	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-07-24 को जारी की गई।



3
(दिनेश विरनोई)
महायुक्त कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्राथमिक डिगरी बमुकदमें इब्दाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. कोशल भीणा पत्नि स्व. राजेश भीणा
2. साक्षी भीणा पुत्री स्व. राजेश भीणा जातिगण भीणा निवासीगण फालना स्टेशन तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. कंकु पत्नि भलाराम जी
2. रमेश पुत्र भलाराम जी
3. वागाराम पुत्र भलाराम जी
4. ताराराम पुत्र भलाराम जी
5. रूपाराम पुत्र मोतीजी
6. भूराराम पुत्र मोतीजी
7. वनाराम पुत्र मोतीजी
8. साकलाराम पुत्र मोतीजी
9. कनाराम पुत्र भुबाजी
10. नेनाराम पुत्र भुबाजी
11. बाबूलाल पुत्र भुबाजी
12. मोहनलाल पुत्र भुबाजी
13. प्रेमराम पुत्र भुबाजी तमाम जाति मीणा निवासीगण भाटून्द तहसील बाली।

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gems No. 2021/388

वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी मिनजानिव मुदई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व प्राथमिक डिग्री दी जाती है कि वादिनी का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 2473 रकबा 1.7100 हैक्टर भूमि मे से वादिनी और उसकी नाबालिग पुत्री (प्रत्येक का) का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 13 की भूमि माफिक कब्जा काश्त बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस पृथक कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क वादी मौके पर अदा करेगा।

दस्तावेज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.05.2024 को जारी किया गया।



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली